झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–04 / 2023 - 542

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 31.07.2023

विषयः– **ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन से प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री संजय कुण्डू एवं अन्य, ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन का आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन में PMGKAY के तहत् वितरित किये गये खाद्यान्न का लगभग 13–18 महिनों का बकाया रहने एवं NFSA–2013 के तहत् माह जनवरी 2023 से मुफ्त वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का माह मार्च, अप्रैल, मई माह का कमीशन प्राप्त नहीं होने का उल्लेख किया गया है। PDS दुकानदारों को कमीशन ससमय नहीं मिलने से अनाज के कालाबाजारी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
31/7/23
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx431

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

M.S. Pls. Send a letter to Concerned Secretary [signature] 24/7/2023

(57)

"संघे शक्ति कलियुगे" G-mail. - onkarjidmk@gmail.com

ऑल इन्डिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi (Head Office - Kolkata)

की झारखण्ड राज्य ईकाई

फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसियेशन, झारखण्ड

(पत्राचार - राखाबनी (रामायण भवन), पो०+जि० - दुमका, झारखण्ड) 814101

केन्द्रीय कार्यालय
डोरंडा, राँची (झारखण्ड)
मो०-7094084727, 9431359576

प्रदेश कार्यालय, दुमका
Mob.: 8051145001, 9110088563

ओंकार नाथ झा
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
ऑल इंडिया फे०प्रा०डी० फेडरेशन, दिल्ली
प्रदेश अध्यक्ष
झारखण्ड

कार्यकारी अध्यक्ष झारखण्ड
मोहन प्रसाद भैय्या
जामताड़ा

वरीय उपाध्यक्ष झारखण्ड
सुरेश प्रसाद
डोरंडा, रांची
कामेश्वर दूबे
गढ़वा

उपाध्यक्ष झारखण्ड
● अरविंदानंद देवघरिया, गुमला
● राजेन्द्र प्रसाद साह-दुमका
● मनोहर सिंह - रामगढ़
● रविंद्र पाण्डेय - डालटनगंज
● अब्दुल्लाह अंसारी-चतरा
● राजकुमार चरण पहाड़ी - गिरीडीह
● नंदू प्रसाद - हजारीबाग

प्रधान महासचिव, झारखण्ड
संजय कुण्डू - राँची
प्रदेश महासचिव
रमेश सिंह - धनबाद
पारसनाथ सिंह - पांकी (पलामू)
बिनोद कुमार भगत - गोड्डा
सचिव
लाल धनंजय नाथ शाहदेव - लोहरदग्गा
सुबोध कुमार - राँची
अखिलेश कुमार सिंह - धनबाद
राजेन्द्र सिंह - कोडरमा
फूलकान्त झा - सरायकेला, खरसांवा
राजेश कु० बंसल - गिरीडीह
संगठन सचिव - झारखण्ड
सुनील कुमार सिन्हा - हजारीबाग
पंकज दुबे - चतरा
अब्दुल सलाम - पाकुड़
हितेश कुमार झा - बोकारो
मोहन साव "पारस" - जमशेदपुर
कोषाध्यक्ष
नमदिश्वर पाण्डेय - रांची
सह कोषाध्यक्ष
सुनील कुमार झा - दुमका
राँची मिडिया प्रभारी
ज्ञानदेव झा, जिलाध्यक्ष राँची
दुमका मिडिया प्रभारी
बजरंग अग्रवाल, रामगढ़, दुमका
S.H.G. प्रभारी -
श्रीमति संगीता वर्मा - प० सिंहभूम
श्रीमति अमरावती वर्मा - राँची
श्रीमति ऋतिका मुखी - सरायकेला
श्रीमति सरस्वती सिंह - खूंटी
श्रीमति सुष्मा कुजुर - गुमला
श्रीमति रोजेलीन टिर्की - गुमला
श्रीमति कांता सरकार - मानगो, जमशेदपुर
श्रीमति बैजंती माला - गोड्डा
श्रीमति लिली बीटी मुर्मू - दुमका

895 24.7.23

पत्रांक : 2/JUL/23 दिनांक : 10/07/23

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

विषयः बकाया कमिशन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन के साथ कहना यह है कि हम राज्य के 25000 पच्चीस हजार जनवितरण विक्रेताओं का एकमात्र रोजगार का साधन हमारी दुकान है।

उक्त दुकानों से मिलने वाला कमिशन मात्र 1/- रू० किलो से हमारा गुजारा एवं परिवार चलता है।

PMGKAY का खाद्यान वितरण दिसम्बर 2022 तक मुफ्त में किया गया था। उक्त खाद्यान वितरण का कमिशन राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 13 से 18 महिनों का बकाया है। वर्तमान में NFSA योजना का खाद्यान भी जनवरी 2023 से मुफ्त वितरण किया जा रहा है, परन्तु मार्च, अप्रैल, मई माह का कमिशन अब तक हमलोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण हम डीलरों की माली हालात काफी खराब होती जा रही है।

दुकानों का किराया बकाया चल रहा है। हमारा दैनिक खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। डीलरों द्वारा काफी कठिनाईयों का सामना करते हुए भी वितरण व्यवस्था जारी है।

"संघे शक्ति कलियुगे" G-mail. - onkarjidmk@gmail.com

ऑल इन्डिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi (Head Office - Kolkata)

की झारखण्ड राज्य ईकाई

केन्द्रीय कार्यालय
डोरंडा, राँची (झारखण्ड)
मो०-7004684727, 9431359576

फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसियेशन, झारखण्ड

(पत्राचार - राखाबनी (रामायण भवन), पो०+जि० - दुमका, झारखण्ड) 814101

प्रदेश कार्यालय, दुमका
Mob.: 8051145001,
9110088563

ओंकार नाथ झा
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
ऑल इंडिया फे०प्रा०डी० फेडरेशन, दिल्ली)
प्रदेश अध्यक्ष
झारखण्ड

कार्यकारी अध्यक्ष
झारखण्ड
मोहन प्रसाद मैय्या
जामताड़ा

वरीय उपाध्यक्ष
झारखण्ड
सुरेश प्रसाद
डोरंडा, राँची
कामेश्वर दूबे
गढ़वा

उपाध्यक्ष झारखण्ड
- अरखितानंद देवघरिया, गुमला
- राजेन्द्र प्रसाद साह-दुमका
- मनोहर सिंह - रामगढ़
- रविन्द्र पाण्डेय - डालटनगंज
- अब्दुल्लाह अंसारी-चतरा
- राजकुमार चरण पहाड़ी - गिरीडीह
- नंदू प्रसाद - हजारीबाग

प्रधान महासचिव, झारखण्ड
संजय कुण्डू - राँची
प्रदेश महासचिव
रमेश सिंह - धनबाद
पारसनाथ सिंह - पांकी (पलामू)
विनोद कुमार भगत - गोड्डा
सचिव
लाल धनंजय नाथ शाहदेव - लोहरदग्गा
सुबोध कुमार - राँची
अखिलेश कुमार सिंह - धनबाद
राजेन्द्र सिंह - कोडरमा
फूलकान्त झा - सरायकेला, खरसांवा
राजेश कु० बंसल - गिरीडीह
संगठन सचिव - झारखण्ड
सुनील कुमार सिन्हा - हजारीबाग
पंकज दुबे - चतरा
अब्दुल सलाम - पाकुड़
हितेश कुमार झा - बोकारो
मोहन साव "पारस" - जमशेदपुर
कोषाध्यक्ष
नर्मदेश्वर पाण्डेय - रांची
सह कोषाध्यक्ष
सुनील कुमार झा - दुमका
राँची मिडिया प्रभारी
ज्ञानदेव झा , जिलाध्यक्ष राँची
दुमका मिडिया प्रभारी
बजरंग अग्रवाल, रामगढ़, दुमका
S.H.G. प्रभारी -
श्रीमति संगीता वर्मा - प० सिंहभूम
श्रीमति अमरावती वर्मा - राँची
श्रीमति कृतिका मुखी - सरायकेला
श्रीमति सरस्वती सिंह - खूंटी
श्रीमति सुष्मा कुजुर - गुमला
श्रीमति रोजेलीन टिर्की - गुमला
श्रीमति कांता सरकार - मानगो, जमशेदपुर
श्रीमति बैजंती माला - गोड्डा
श्रीमति लिली बीटी मुर्मू - दुमका

पत्रांक : ....

दिनांक : 10/07/23

विभाग को कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु हमारा कमिशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि केन्द्र सरकार के द्वारा NFSA योजना का डीलर कमिशन मार्च 2024 तक निर्गत कर दिया गया है। फिर भी हमें कमिशन प्राप्त नहीं हो रहा है। उपरोक्त समस्याओं को महोदय के समक्ष रखा जा रहा है।

राज्य के डीलरों का बकाया कमिशन यथाशीघ्र भुगतान करवाने की कृपा की जाय।

इसके लिए ऐसोशिएसन आपका कृतज्ञ रहेगा। सहयोग के साथ।

आपका विश्वासभाजन

(सुरेश प्रसाद)
प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष।

(ज्ञानदेव झा)
रांची जिला अध्यक्ष।

10/7/23
(संजय कुण्डू)
प्रदेश महामंत्री।

(55)

पत्रांक– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (खा०आ०)/7–9/2021 405

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।
निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड, राँची।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, राँची।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड।

/राँची, दिनांक– 02/02/23

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी 2023 से मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार का पत्रांक 10(3)/2005-Py IV (pt)/PD I (Vol. III) (a), दिनांक 29.12.2022, अर्द्ध सरकारी पत्रांक–15-17/2018-NFSA/351470, दिनांक 30.12.2022 एवं पत्रांक–15-17/2018-NFSA/351470, दिनांक 30.12.2022 एवं विभागीय पत्रांक–87 दिनांक 06.01.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को Free of Cost (Irrespective of allocation month) वितरित किया जाना है जिसके संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निदेश निर्गत किया गया है।

विदित हो कि उक्त अवधि में लाभुकों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अलग से डीलर कमीशन का भुगतान किया जाना होगा जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक–87, दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। ज्ञातव्य हो कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर ही डीलर कमीशन की राशि देय है।

समीक्षोपरांत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न वितरण के विरुद्ध डीलर कमीशन के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जाय :–

(i) माह जनवरी, 2023 में माह दिसम्बर, 2022 के लिए वितरित खाद्यान्न के विरुद्ध डीलर कमीशन का भुगतान खाद्यान्न वितरण के आँकड़ों के आधार पर किया जाए। इस हेतु माह जनवरी, 2023 में माह दिसम्बर, 2022 के लिए वितरित खाद्यान्न के आँकड़े आपके Login में उपलब्ध करा दी जा रही है।

(ii) माह जनवरी, 2023 एवं फरवरी 23 के लिए डीलर कमीशन का भुगतान Freezed किए आवंटन की मात्रा के आधार पर विपत्र तैयार कर जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खाते में किया जाये।

(iii) तत्पश्चात मार्च, 2023 के लिए Freezed किए आवंटन की मात्रा में दो माह पूर्व अर्थात् माह जनवरी, 2023 में वितरित खाद्यान्न का समायोजन/कटौती करते हुए विपत्र तैयार कर डीलर कमीशन का भुगतान किया जाए। इसी प्रकार माह अप्रैल, 2023 के लिए Freezed आवंटन में माह फरवरी, 2023 में वितरित खाद्यान्न का समायोजन/कटौती करते हुए विपत्र तैयार कर डीलर कमीशन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार यह प्रक्रिया को आगामी माहों के लिए जारी रखा जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाए की डीलर कमीशन का भुगतान माह में 10वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से कर दी जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अनुमान्य डीलर कमीशन की राशि का भुगतान किया जाय, ताकि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

विश्वासभाजन,

(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के अपर सचिव।